संख्या–वे0आ0–2–821 / दस–2014–8(मु0स0स0) / 2011

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
विकलॉग कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 07 नवम्बर, 2014

विषयः मुख्य सचिव समिति द्वारा राज्य के विकलॉग कर्मचारियों को अनुमन्य हो रहे वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों के पुनरीक्षण / संशोधन से सम्बन्धित प्रकरण पर दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव समिति द्वारा राज्य के विकलॉग कर्मचारियों को अनुमन्य हो रहे वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों के पुनरीक्षण / संशोधन से सम्बन्धित प्रकरण पर दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये :––

राजकीय विभागों के विकलॉग कर्मचारियों के लिये वर्तमान में निर्धारित वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों को दिनांक 01 नवम्बर, 2014 से निम्नानुसार संशोधित किया जाय :––

(i) राजकीय विभागों के विकलॉग कर्मचारियों हेतु।

क0 सं0	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन	मार्च 2000 में वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की अनुमन्य दरें (रू0 प्रतिमाह)	मई 2008 में वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की अनुमन्य करायी गयी दरें (रू0 प्रतिमाह)	दिनांक 01 नवम्बर, 2014 से वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की संशोधित दरें (रू0 प्रतिमाह)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रू0 1800 तक	150.00	300.00	450.00
2	रू0 1900 से 2800 तक	200.00	400.00	600.00
3	रू0 4200 एवं अधिक	250.00	500.00	750.00

(ii) शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के राजकीय विद्यालय, मूक तथा बधिर राजकीय विद्यालय तथा राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालयों के शारीरिक रूप से अक्षम कोटि के प्रधानाध्यपकों / प्रधानाध्यापिकाओं तथा अध्यापकों /

MSS NOTE

अध्यापिकाओं के वाहन प्रतिपूर्ति भत्ते की दरों का दिनांक 01 नवम्बर, 2014 से निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाय :—

क0 सं0	पदनाम	मार्च 2000 में वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की अनुमन्य दरें (रू0 प्रतिमाह)	मई 2008 में वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की अनुमन्य करायी गयी दरें (रू0 प्रतिमाह)	दिनांक 01 नवम्बर, 2014 से वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की संशोधित दरें (रू0 प्रतिमाह)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अध्यापक / अध्यापिकायें	200.00	400.00	600.00
2	प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिकायें	250.00	500.00	750.00

2— कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या—वे0आ0—2—821 (1) / दस—2014—8(मु0स0स0) / 2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1
2— कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3— निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

MSS NOTE